(35)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3822-पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-9-2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 418/अपील/2012-13

1-सुरेश सिंह पुत्र स्व0अलवेल सिंह परिहार
2-कमलसिंह पुत्र स्व0अलवेल सिंह परिहार
3-विशालसिंह पुत्र स्व0अलवेल सिंह परिहार
निवासी ग्राम बेरू तहसील डबरा जिला ग्वालियर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1-श्रीमती मुन्नीबाई पत्नि अमरसिंह पुत्री स्व0अलबेलसिंह
निवासी ग्राम बेरू तहसील डबरा जिला ग्वालियर
2-श्रीमती सीलाबाई पत्नि भारतसिंह पुत्री स्व0अलवेलसिंह
निवासी ग्राम विजकपुर तहसील डबरा जिला ग्वालियर
3-श्रीमती केला पत्नि किशन सिंह पुत्री स्व0 अलवेलसिंह
निवासी ग्राम नाका चन्द्रबदनी लश्कर ग्वालियर
4-श्रीमती कमला पत्नि रामकिशोर पुत्र स्व0अलवेलसिंह
निवासी ग्राम सूखापठा तहसील डबरा जिला ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री आर0एस0गौड़, अभिभाषक, आवेदकगण

अनावेदक एकपक्षीय

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/5/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-9-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदकगण के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम बेरू की भूमि खाता क्रमांक 64 रकबा 7.88 हैक्टयर पर भूमिस्वामी अलबेलसिंह के फौत होने पर वसीयत के आधार पर नामान्तरण चाहा गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाकर दिनांक 25-10-2008 को आदेश पारित कर आवेदकगण का नामान्तनरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28-2-2013 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई तथा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30-9-2015 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) तहसील न्यायालय के आदेश की अपील अनावेदकपक्ष द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी जबकि अनावेदक को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी आदेश पारित करने के दिनांक से थी, इस तथ्य को अनदेखा कर विलम्ब के संबंध में कोई आदेश पारित न कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील निराकरण गुणदोष पर करने में त्रुटि की गई है ।

(2) वसीयतनामा द्वारा उत्तराधिकारी के हक को समाप्त किया जा सकता है इसी क्रम में वादग्रस्त भूमि का वसीयतनामा पूर्व भूमि स्वामी अलवेलसिंह द्वारा आवेदकगण के हित में

सम्पादित किया गया था । वसीयतनामा रजिस्टर्ड वसीयतनामा है जिसे साक्षियों द्वारा प्रमाणित भी किया गया था तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत नामान्तरण आदेश पारित किया गया था, जिसे अपीलीय न्यायालयों द्वारा निरस्त करने में विधिक भूल की गई है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील का निराकरण प्रमुख रूप से इस आधार पर किया गया कि अलवेलसिंह की संपत्ति स्वअर्जित थी इसका कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किया गया अपील के निराकरण का यह आधार नियम के विपरीत है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विचाराधीन अपील में अनावेदक जो अपीलार्थी थे उन पर यह भार था कि वह विवादाग्रस्त संपत्ति को पुश्तैनी सिद्ध करते परन्तु ऐसा नहीं किया गया इसके बाद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर वादग्रस्त भूमि को पुश्तैनी मानकर आवेदकगण के हित में पारित नामान्तरण आदेश निरस्त किया गया जो उचित नहीं है ।

(4) अनावेदक पक्ष द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें आवेदकगण के हित में संपादित वसीयतनामा की जानकारी होना वर्णित किया गया है।

(5) पूर्व भूमिस्वामी द्वारा संपादित वसीयतनामा में वसीयतकर्ता द्वारा अपने चारों पुत्रियों का हवाला दिया गया था और यह स्पष्ट किया गया था कि वादग्रस्त संपत्ति में उसकी पुत्रियों का कोई भाग नहीं है । वसीयत का कानून उत्तराधिकार को समाप्त करता है जो वसीयत कर्ता द्वारा अपनी वसीयत के द्वारा अनावेदकगण का उत्तराधिकार समाप्त कियाजा चुका है जब वसीयतकर्ता द्वारा अनावेदक गण के संबंध में उनके उत्तराधिकार के अधिकार के वसीयत द्वारा समाप्त कर दिया था तब अनावेदकगण को व्यक्तिगत सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं था ।

(6) अपर आयुक्त द्वारा अपने में विवादित आदेश से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुये आवेदकगण की अपील निरस्त की गई है परन्तु नामान्तरण के संबंध में किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया है । अंत में उनके द्वारा अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये तहसील न्यायालय का आदेश यथावत् रखे जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकपक्ष के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा सभी वारिसानों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । विचारण न्यायालय द्वारा सभी वारिसान को सूचना पत्र जारी करना नामान्तरण प्रक्रिया का आवश्यक तत्व है । वसीयत की जानकारी पूर्व से होने पर भी नामान्तरण के पूर्व सभी विधिक वारिसों को सूचना देना आवश्यक है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामान्तरण की विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाये जाने के कारण तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में उचित कार्यवाही की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय सीमा के बिन्दु पर दिनांक 7-2-2013 को पृथक से निर्णय लिया था । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है। इस संबंध में वर्ष 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-9-2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर